



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

विकास आयुक्त का कार्यालय/OFFICE OF THE DEVELOPMENT  
COMMISSIONER,

सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र /SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.

टेली/Tel:(+91 22)-28294726, फ़ैक्स/Fax:022-28291754

ई-मेल/E-mail: [aoseepz-mah@nic.in](mailto:aoseepz-mah@nic.in), वेबसाइट/web-site: [www.seepz.gov.in](http://www.seepz.gov.in)



सं.सीपज़-सेज़/प्रशासन/जीआइ/588/2020-21/ 08309

दिनांक: 30.7.2020

सेवा में,

सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी,

क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधिकार-क्षेत्र के अधीन

विषय:- कोविड-19 वायरस के मद्देनज़र कर्मचारियों को घर से कार्य करने के लिए लौटाए जाने के आधार पर लेपटॉप/एसेसरीज सहित डेस्कटॉप के अस्थायी तौर पर हटाए जाने (रिमूवल) के संबंध में अनुमति ।

संदर्भ: महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 29.07.2020 का आदेश संख्या डीएमयू/2020/ सीआर.92/ डीआइएसएम-1 ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 29.7.2020 के आदेश संख्या डीएमयू/2020/सीआर.92/डीआइएसएम-1 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्ववर्ती पत्रों का भी संदर्भ ग्रहण करें । महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाकर दिनांक 31.08.2020 तक कर दी है ।

2. तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उक्त अनुमति दिनांक 31.08.2020 तक के लिए बढ़ाई जाती है ।

3. आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले यूनिटों को तदनुसार सूचित करें ।

4. यह संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

२१२

(राजू कुमार)

सहायक विकास आयुक्त,

सीपज़-सेज़